

प्रेस विज्ञप्ति

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारत सरकार ने महामारी के रूप में घोषित कोविड-19 रोग के लिए अपनी तैयारियों में वृद्धि की है। जिला प्रशासन ने कोरोना बचाव, रोकथाम और प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने कई रीतिपूर्व, समय पर और सक्रिय कदम उठाए हैं एवं निवारक उपाय किए हैं।

कई लोग अपनी-अपनी जगह छोड़कर कोई भी जानकारी एवं इजाजत के बजाय दूसरी जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे प्रशासन को परेशानी हो रही है। यह सूचित किया जाता है कि, किसी भी व्यक्ति को दादरा एवं नगर हवेली जिला प्रशासन की पूर्व स्वीकृति के बिना दादरा और नागर हवेली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जो लोग दादरा एवं नगर हवेली में इलाज अथवा अन्य आवश्यक कारणों से प्रवेश करने के इच्छुक हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपने मूल स्थान पर ही दादरा एवं नगर हवेली जिला प्रशासन की अनुमति लेना सुनिश्चित करें। मेरिट के अनुसार उन्हें अनुमति दी जा सकती है अथवा उनकी अर्जी नामंजूर की जा सकती है। अनुमति के लिए कोरोना ट्रेसर मोबाइल एप्लिकेशन जो यू टी प्रशासन की वेबसाइट www.dnh.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है और www.dmcgov.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। जो लोग दादरा और नागर हवेली में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपना राज्य एवं प्रदेश छोड़ने से पहले संबंधित राज्य या क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करें और अधिक जानकारी के लिए www.dnh.nic.in पर संपर्क करें।

अपूर्व
06/05/2020
(डा० अपूर्व शर्मा),

उपसचिव (आई&पी) / निवासी उप समाहर्ता
(सिलवासा),

स आई पी / डीएन एच / कोविड -19/2020/252

दिनांक: 06/05/2020

समाहर्ता कार्यालय, सिलवासा